



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2006 / आषाढ़ 23, 1928 (शक)

No. 34]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2006 / ASADHA 23, 1928 (Saka)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 14th July, 2006/Asadha 23, 1928 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 13th July, 2006, and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY ACT, 2006

No. 28 OF 2006

[13th July, 2006]

AN ACT to establish and incorporate the National Institute of Fashion Technology for the promotion and development of education and research in fashion technology and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

- (1) This Act may be called the National Institute of Fashion Technology Act, 2006.
- (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Short title and commencement.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) “appointed day” means the date of establishment of the National Institute of Fashion Technology under sub-section (1) of section 3;

(b) “Board” means the Board of Governors of the Institute constituted under sub-section (3) of section 3;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Institute nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3;

(d) “Director-General” means the Director-General of the Institute appointed under section 15;

(e) “fashion” includes a popular trend or a lifestyle, specially in styles of dress and ornament or manners of behaviour or the business of creating, promoting or studying styles in vogue or the designing, production and marketing of new styles of goods such as, clothing, accessories, craft and cosmetics; and the words “fashion technology” with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;

(f) “Fund” means the Fund of the Institute to be maintained under section 19;

(g) “Institute” means the National Institute of Fashion Technology established under sub-section (1) of section 3;

(h) “Institute Campus” means an Institute Campus located at New Delhi, Gandhinagar, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata or any other place in India or abroad as may be decided by the Board of Governors;

(i) “Senate” means the Senate of the Institute referred to in section 12;

(j) “Society” means the National Institute of Fashion Technology, New Delhi registered as a society under the Societies Registration Act, 1860;

(k) “Statutes” and “Ordinances” mean respectively the Statutes and the Ordinances of the Institute made under this Act.

21 of 1860.

CHAPTER II

THE INSTITUTE

Establishment
of the Institute.

3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette appoint, the National Institute of Fashion Technology shall be established as a body corporate by the name aforesaid.

(2) The Institute shall have perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and shall, by that name, sue or be sued.

(3) The Institute shall consist of the Board of Governors having the following persons, namely:—

(a) a Chairperson, who shall be an eminent academician, scientist or technologist or professional, to be nominated by the Visitor;

(b) three Members of Parliament, two from Lok Sabha to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and one from Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha;

(c) the Director-General of the Institute, *ex officio*;

(d) the Financial Adviser of the Ministry or Department in the Government of India dealing with the National Institute of Fashion Technology, *ex officio*;

(e) the Joint Secretary, in the Ministry or Department in the Government of India dealing with the National Institute of Fashion Technology, *ex officio*;

(f) the representative of the Ministry or Department in the Government of India dealing with higher education to be nominated by the Secretary of that Ministry or Department, *ex officio*;

(g) five persons to be nominated by the Central Government, representing the States in which the campus of the Institute is located, from amongst persons who are academicians or industrialists of repute engaged in area of fashion technology; and

(h) two eminent experts in fashion technology, one of whom shall be an educationist, to be nominated by the Visitor on the recommendations of the Central Government.

(4) The term of office of the Chairperson and other members of the Board other than *ex officio* members thereof shall be three years and they shall be entitled for such allowances as may be determined by the Central Government.

(5) The term of office of members of the Board nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

(6) The Board shall meet at least four times in a year at such place and time and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be determined by the Board.

(7) It is hereby declared that the office of member of the Board of Governors shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament.

4. On and from the appointed day, subject to the other provisions of this Act, all properties which had vested in the Society, immediately before the commencement of this Act, shall on and from such commencement, vest in the Institute. Vesting of properties.

5. On and from the appointed day —

(a) any reference to the Society in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the Institute;

(b) all the rights and liabilities of the Society shall be transferred to, and be the rights and liabilities of, the Institute; and

(c) every person employed by the Society, immediately before the appointed day, shall hold office or service in the Institute by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund and other matters as he would have held the same, if this Act had not been passed, and shall continue to be so, unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration, terms and conditions are duly altered by the Statutes:

Effect of incorporation of Institute.

Provided that if the alteration so made is not acceptable to such employee, his employment may be terminated by the Institute in accordance with the terms of the contract with the employee or, if no provision is made therein in this behalf, on payment to him by the Institute of compensation equivalent to three months' remuneration in the case of permanent employee and one month's remuneration in the case of other employee.

6. The functions of the Institute shall be —

(i) to nurture and promote quality and excellence in education and research in area of fashion technology;

(ii) to lay down courses leading to graduate and post-graduate degrees, doctoral and post-doctoral courses and research in area of fashion technology;

(iii) to hold examinations and grant degrees in area of fashion technology;

(iv) to confer honorary degrees, awards or other distinctions in area of fashion technology;

(v) to cooperate with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the Institute by exchange of faculty members and scholars and generally in such manner as may be conducive to their common objective;

(vi) to conduct courses for teachers, fashion technologists and other professionals;

(vii) to undertake research and studies in area of fashion technology and application thereof, particularly concerning the integration of locally produced materials, the requirements of mass production, improved quality and design and international marketing;

Functions of Institute.

(viii) to collect and maintain literature and materials available in area of fashion technology so as to develop a modern information centre within the country;

(ix) to create a central faculty of fashion technology resource and analysis for use by the researchers;

(x) to have a centre to experiment and innovate and to train persons in the area of fashion technology;

(xi) to develop an international centre for creation and transmission of information in the area of fashion technology, with focus on educational, professional and industrial commitments;

(xii) to develop a multi-disciplinary approach in carrying out research and training in area of fashion technology so that the larger interests of the profession, academia and fashion industry are better served;

(xiii) to organise national or international symposia, seminars, conferences and exhibitions in selected area of fashion technology, from time to time;

(xiv) to arrange courses catering to the special needs of the developing countries;

(xv) to act as a nucleus for interaction between academia and industry by encouraging exchange of fashion technologists and other technical staff between the Institute and the industry and by undertaking sponsored and funded research as well as consultancy projects by the Institute;

(xvi) to provide technical assistance to artisans, craftsmen, manufacturers, designers and exporters of fashion products; and

(xvii) to carry out any other activity in the area of fashion technology not specifically listed above.

Powers of Board.

7. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board, under overall control of the Central Government, shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute and shall exercise all the powers not otherwise provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances, and shall have the power to review the acts of the Senate.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board shall –

(a) take decisions on questions of policy relating to the administration and working of the Institute;

(b) take decisions on the establishment of new campuses of the Institute at any location in India or abroad;

(c) fix, demand and receive fees and other charges;

(d) establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of the students;

(e) supervise and control the residence and regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health, general welfare and cultural and corporate life;

(f) institute academic and other posts and to make appointments thereto (except in the case of the Director-General);

(g) frame Statutes and Ordinances and to alter, modify or rescind the same;

(h) institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(i) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the budget estimates of the Institute for the next financial year as it thinks fit together with a statement of its development plans;

(j) receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government and to receive bequests, donations and transfers of movable or immovable properties from the testators, donors or transferors, as the case may be; and

(k) do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the aforesaid powers.

(3) The Board shall have the power to appoint such committees, as it considers necessary for the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 3, the Board shall not dispose of in any manner any immovable property without the prior approval of the Central Government.

(5) The Central Government may appoint one or more persons to review the work and progress of the Institute and to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the Central Government may direct.

(6) Upon receipt of any such report, the Central Government may take such action and issue such directions as it considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the Institute shall be bound to comply with such directions.

(7) The Visitor shall have the power to remove the Chairperson or other members of the Board nominated by him, on the recommendations of the Central Government.

(8) The Central Government shall have the power to remove other members, if it considers it appropriate to do so.

(9) No Chairperson or member shall be removed under sub-section (7) or sub-section (8) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

8. (1) The Institute shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers or workers or in any other connection whatsoever.

Institute be open to all races, creeds and classes.

(2) No bequest, donation or transfer of any property shall be accepted by the Institute, which in the opinion of the Board involves conditions or obligations opposed to the spirit and object of this section.

9. All teaching at the campuses of the Institute shall be conducted by or in the name of the Institute in accordance with the Statutes and the Ordinances made in this behalf.

Teaching at Institute.

10. The President of India shall be the Visitor of the Institute.

Visitor.

11. The following shall be the authorities of the Institute, namely:—

Authorities of Institute.

(a) a Board of Governors;

(b) a Senate; and

(c) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the Institute.

12. The Senate of the Institute shall consist of the following persons, namely:—

Senate.

(a) the Director-General, *ex officio* who shall be the Chairperson of the Senate;

(b) all Institute Campus Directors and Senior Professors;

(c) three persons, not being employees of the Institute, to be nominated by the Chairperson in consultation with the Director-General, from amongst educationists of repute, one each from the fields of science, engineering and humanities and one of them shall be either from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(d) one alumnus of the Institute to be nominated by the Chairperson in consultation with the Director-General by rotation; and

(e) such other members of the staff as may be laid down in the Statutes.

13. Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Senate of the Institute shall have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination in the Institute and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

Functions of Senate.

Functions,
powers and
duties of
Chairperson.

14. (1) The Chairperson shall ordinarily preside at the meetings of the Board and at the Convocations of the Institute.

(2) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by this Act or the Statutes.

Director-
General.

15. (1) The Director-General of the Institute shall be appointed by the Board with the prior approval of the Central Government for a tenure of three years.

(2) The Director-General shall be the principal executive officer of the Institute and shall be responsible for the proper administration of the Institute and for imparting of instruction and maintenance of discipline therein.

(3) The Director-General shall submit annual reports and accounts to the Board.

(4) The Director-General shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by this Act, Statutes and Ordinances.

(5) The Central Government shall have the power to remove the Director-General before the tenure of three years, if it considers it appropriate to do so.

Registrar.

16. (1) The Registrar of the Institute shall be appointed on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes and shall be the custodian of records, the common seal, the funds of the Institute and such other property of the Institute as the Board shall commit to his charge.

(2) The Registrar shall act as the Secretary of the Board, the Senate and such committees as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Registrar shall be responsible to the Director-General for the proper discharge of his functions.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by this Act or the Statutes or by the Director-General.

Powers and
duties of
other
authorities
and officers.

17. The powers and duties of authorities and officers, other than those hereinbefore mentioned, shall be determined by the Statutes.

Grants by
Central
Government.

18. For the purpose of enabling the Institute to discharge its functions efficiently under this Act, the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money and in such manner as it may think fit.

Fund of
Institute.

19. (1) The Institute shall maintain a Fund to which shall be credited —

(a) all moneys provided by the Central Government;

(b) all fees and other charges received by the Institute;

(c) all moneys received by the Institute by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(d) all moneys received by the Institute in any other manner or from any other source.

(2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Institute may, with the approval of the Central Government, decide.

(3) The fund shall be applied towards meeting the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its duties under this Act.

Setting up of
endowment
fund.

20. Notwithstanding anything contained in section 19, the Central Government may direct the Institute to —

(a) set up an endowment fund and any other fund for specified purpose; and

(b) transfer money from its Fund to endowment fund or any other fund.

21. (1) The Institute shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the balance-sheet, in such form as may be specified, in accordance with such general directions as may be issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

Accounts
and audit.

(2) The accounts of the Institute shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Institute to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Institute shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India, generally has in connection with the audit of the Government accounts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Institute.

(4) The accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

22. (1) The Institute shall constitute, for the benefit of its employees, including the Director-General, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident funds as it may consider necessary.

Pension and
provident
fund.

19 of 1925.

(2) Where any such provident fund has been so constituted, the Central Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

23. All appointments of the staff of the Institute, except that of the Director-General, shall be made in accordance with the procedure laid down in the Statutes by—

Appointment.

(a) the Board, if the appointment is made on the academic staff in the post of Assistant Professor or above or if the appointment is made on the non-academic staff in any cadre, the maximum of the pay-scale for which is the same or higher than that of Assistant Professor; and

(b) the Director-General, in any other case.

24. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

Statutes.

(a) the formation of departments of teaching;

(b) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;

(c) the classification, the method of appointment and the determination of the terms and conditions of service of officers, teachers and other staff of the Institute;

(d) the reservation of posts for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward categories of persons as may be determined by the Central Government;

(e) the constitution of pension, insurance and provident funds for the benefit of the officers, teachers and other staff of the Institute;

(f) the constitution, powers and duties of the authorities of the Institute;

(g) the establishment and maintenance of halls and hostels;

(h) the manner of filling up of vacancies among members of the Board;

(i) the authentication of the orders and decisions of the Board;

(j) the meetings of the Senate, the quorum at such meetings and the procedure to be followed in the conduct of their business; and

(k) any other matter which by this Act is to be or may be prescribed by the Statutes.

Statutes
how made.

25. (1) The first Statutes of the Institute shall be framed by the Board with the previous approval of the Visitor and a copy of the same shall be laid as soon as may be before each House of Parliament.

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereafter in this section provided.

(3) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the Visitor who may assent thereto or withhold assent or remit it to the Board for consideration.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Visitor.

Ordinances.

26. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances of the Institute may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of the students to the Institute;

(b) the reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward categories of persons;

(c) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the Institute;

(d) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma and certificate courses and to the examinations of the Institute and award of degrees, diplomas and certificates;

(e) the conditions for award of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;

(f) the conditions and mode of appointment and duties of examining body, examiners and moderators;

(g) the conduct of examinations;

(h) the maintenance of discipline among the students of the Institute;

(i) the fees to be charged for courses of study in the Institute and for admission to the examinations of degrees, diplomas and certificates of the Institute;

(j) the conditions of residence of students of the Institute and the levying of the fees for residence in the halls and hostels and other charges; and

(k) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances
how made.

27. (1) Save as otherwise provided in this section, Ordinances shall be made by the Senate.

(2) All Ordinances made by the Senate shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted, as soon as may be, to the Board and shall be considered by the Board at its next succeeding meeting.

(3) The Board shall have power by resolution to modify or cancel any such Ordinance and such Ordinance shall from the date of such resolution stand modified accordingly or cancelled, as the case may be.

Tribunal of
Arbitration.

28. (1) Any dispute arising out of a contract between the Institute and any of its employees shall, at the request of the employee concerned or at the instance of the Institute, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Institute, one member nominated by the employee and an umpire appointed by the Visitor.

(2) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and shall not be questioned in any court.

(3) No suit or proceeding shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration.

(4) The Tribunal of Arbitration shall have power to regulate its own procedure.

(5) Nothing in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to arbitration under this section.

CHAPTER III
MISCELLANEOUS

29. No act of the Institute or Board or Senate or any other body set up under this Act or the Statutes, shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies, etc.

30. Notwithstanding anything contained in this Act, whenever the Institute receives funds from any Government, the University Grants Commission or any other agency including industry sponsoring a research scheme or a consultancy assignment or a teaching programme or a chaired professorship or a scholarship, etc., to be executed or endowed at the Institute:—

Sponsored schemes.

(a) the amount received shall be kept by the Institute separately from the Fund of the Institute and utilised only for the purpose of the scheme; and

(b) the staff required to execute the same shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organisations:

Provided that any money remaining unutilised shall be transferred to the endowment fund created under section 20 of this Act.

31. The Institute shall have the power to grant degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions under this Act, which shall be equivalent to such corresponding degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions granted by any University or Institute established or incorporated under any other law for the time being in force.

Power of Institute to grant degrees, etc.

32. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision or give such direction not inconsistent with the purposes of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

33. Notwithstanding anything contained in this Act —

Transitional provisions.

(a) the Board of Governors of the Society functioning as such immediately before the commencement of this Act shall continue to so function until a new Board is constituted for the Institute under this Act, but on the constitution of a new Board under this Act the members of the Board holding office before such constitution shall cease to hold office; and

(b) until the first Statutes and the Ordinances are made under this Act, the rules and regulations, instructions and guidelines of the Society as in force, immediately before the commencement of this Act, shall continue to apply to the Institute in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

Statutes and Ordinances to be published in the Official Gazette and to be laid before Parliament.

34. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute or Ordinance or both Houses agree that the Statute or Ordinance should not be made, the Statute or Ordinance shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance.

(3) The power to make Statutes or Ordinances shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act to Statutes or Ordinances or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statute or Ordinance so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such Statutes or Ordinances may be applicable.

K.N. CHATURVEDI,
Secy. to the Govt. of India.

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 28)

[13 जुलाई, 2006]

फैशन प्रौद्योगिकी में शिक्षा और अनुसंधान के संवर्धन और विकास
के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित
और उसके आनुषंगिक
विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशित, संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से धारा 15 के अधीन नियुक्त, संस्थान का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "फैशन" के अंतर्गत, प्रचलित प्रवृत्ति या जीवन शैली, विशेषतः पोशाक और आभूषण की शैलियां या व्यवहार के शिष्टाचार या लोकप्रिय शैलियों का सृजन, संवर्धन या अध्ययन का कारबार या माल, वस्त्रों, उपसाधनों, शिल्प और प्रसाधन सामग्रियों जैसी नई शैलियों का डिजाइन करना, उत्पादन और विपणन करना भी है; और "फैशन प्रौद्योगिकी" शब्दों का अर्थ उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के अनुसार लगाया जाएगा;

(च) "निधि" से धारा 19 के अधीन रखी जाने वाली संस्थान निधि अभिप्रेत है;

(छ) "संस्थान" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) "संस्थान कैम्पस" से नई दिल्ली, गांधी नगर, चेन्नई, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, कोलकाता या भारत में किसी अन्य स्थान पर या विदेश में अवस्थित ऐसा कोई संस्थान कैम्पस, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, अभिप्रेत है;

(झ) "सिनेट" से धारा 12 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है;

(ञ) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में 1860 का 21 रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(ट) "परिनियम" और "अध्यादेश" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थान की स्थापना।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय स्थापित किया जाएगा।

(2) संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) संस्थान शासक बोर्ड से मिलकर बनेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात शिक्षाविद्, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या वृत्तिक होगा, जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ख) तीन संसद् सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से और एक राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा से नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ग) संस्थान का महानिदेशक, पदेन;

(घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित मंत्रालय या विभाग का वित्तीय सलाहकार, पदेन;

(ड) भारत सरकार के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित मंत्रालय या विभाग का संयुक्त सचिव, पदेन;

(च) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा से संबंधित मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधि जो उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा, पदेन;

(छ) उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनमें संस्थान का कैम्पस अवस्थित है, उन व्यक्तियों में से, जो शिक्षाविद् हैं या फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा पांच व्यक्ति नामनिर्देशित किए जाएंगे; और

(ज) फैशन प्रौद्योगिकी में दो विख्यात विशेषज्ञ, जिनमें से एक शिक्षाविद्, केंद्रीय सरकार की सिफारिशों पर कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न, बोर्ड के अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वे ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(5) आकस्मिक रिक्त भरने के लिए बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि तक बनी रहेगी जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है।

(6) बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम चार बार ऐसे स्थान और समय पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं।

(7) यह घोषित किया जाता है कि शासक बोर्ड के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए निरहित नहीं करेगा।

4. नियत दिन से ही, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संपत्तियां जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व सोसाइटी में निहित थीं, ऐसे प्रारंभ से ही संस्थान में निहित हो जाएंगी।

संपत्तियों का निहित होना।

5. नियत दिन से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संस्थान के प्रति निर्देश है;

संस्थान के निगमन का प्रभाव।

(ख) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे; और

(ग) नियत दिन से ठीक पहले सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा, संस्थान में उसी सेवाधृति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसे कि वह उस दशा में धारण करता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता और तब तक इसी प्रकार धारण करेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी सेवाधृति, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें परिणियमों द्वारा सम्यक्तः परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर देकर संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

6. संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

संस्थान के कृत्य।

(i) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और विशिष्टता को विकसित करना और उनका संवर्धन करना;

(ii) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों, डाक्टरेट और पोस्ट डाक्टरेट पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के लिए पाठ्यक्रम अधिकथित करना;

- (iii) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां प्रदान करना;
- (iv) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानद डिग्रियां, पुरस्कार या अन्य विशिष्टियां प्रदान करना;
- (v) विश्व के किसी भाग में ऐसी शैक्षिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या भागतः संस्थान के उद्देश्यों के समरूप हैं, संकाय के सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान करके और साधारणतया ऐसी रीति से, जो उनके समान उद्देश्य के लिए सहायक हों, सहयोग करना;
- (vi) अध्यापकों, फैशन प्रौद्योगिकीविदों और अन्य वृत्तिकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना;
- (vii) फैशन प्रौद्योगिकी और उसके उपयोजन के क्षेत्र में, विशिष्टतः स्थानीय रूप से उत्पादित सामग्री, थोक उत्पादन की अपेक्षाओं, उन्नत क्वालिटी और डिजाइन तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन के एकीकरण से संबंधित, अनुसंधान और अध्ययन करना;
- (viii) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य और सामग्री का संग्रह करना और उसे बनाए रखना जिससे देश के भीतर आधुनिक सूचना केन्द्र विकसित किया जा सके;
- (ix) अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए फैशन प्रौद्योगिकी संसाधन और विश्लेषण के केन्द्रीय संकाय का सृजन करना;
- (x) फैशन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रयोग करने और नव परिवर्तन लाने के लिए तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक केन्द्र रखना;
- (xi) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शैक्षिक, वृत्तिक और औद्योगिक वचनबद्धताओं पर केन्द्रीभूत करते हुए, सूचना के सृजन और पारेषण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केन्द्र का विकास करना;
- (xii) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने और प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने में बहुविषयी अभिगम का विकास करना जिससे कि वृत्ति, अकादमी और फैशन उद्योग के व्यापक हित को बेहतर ढंग से लाभ पहुंचाया जा सके;
- (xiii) फैशन प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, सेमीनार, सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करना;
- (xiv) विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना;
- (xv) संस्थान तथा उद्योग के बीच फैशन प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके और संस्थान द्वारा प्रायोजित और निधिक अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाओं को हाथ में लेकर अकादमी और उद्योग के पारस्परिक प्रभाव के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (xvi) फैशन उत्पादों के कारीगरों, शिल्पियों, विनिर्माताओं, डिजाइनरों और निर्यातकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; और
- (xvii) फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई अन्य क्रियाकलाप चलाना, जो ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड की शक्तियां।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन, संस्थान के कार्यकलाप के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान को उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड,—

- (क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों का विनिश्चय करेगा;
- (ख) भारत में किसी अवस्थान पर या विदेश में संस्थान के नए कैम्पस स्थापित करने के बारे में विनिश्चय करेगा;

(ग) फीसों और अन्य प्रभारों को नियत करेगा, उनकी मांग करेगा और उन्हें प्राप्त करेगा;

(घ) छात्रों के निवास के लिए हॉलों और छात्रावासों की स्थापना करेगा, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करेगा;

(ङ) संस्थान के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा तथा उनके अनुशासन का विनियमन करेगा तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करेगा;

(च) अध्यापन और अन्य पदों की स्थापना करेगा तथा उन पर (महानिदेशक के पद को छोड़कर) नियुक्तियां करेगा;

(छ) परिनियम और अध्यादेश बनाएगा और उनमें परिवर्तन, उपांतरण करेगा या उन्हें विखंडित करेगा;

(ज) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित और प्रदान करेगा;

(झ) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों पर उनकी विकास योजनाओं के विवरण सहित, विचार करेगा और ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे;

(ञ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दाताओं और अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों को वसीयत में, दान के रूप में या अंतरण के रूप में प्राप्त करेगा; और

(ट) ऐसी सभी बातें करेगा जो पूर्वोक्त सभी या किन्हीं कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(3) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्ययन नहीं करेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कामकाज की जांच करने के लिए तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिससे वह, रिपोर्ट में वर्णित किसी विषय के बारे में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, बोर्ड के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्यों को केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(8) केन्द्रीय सरकार को, यदि वह ऐसा करना समुचित समझे, अन्य सदस्यों को हटाने की शक्ति होगी।

(9) किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस विषय में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

8. (1) संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, या कर्मकारों को प्रवेश देने या नियुक्त करने में या किसी भी अन्य बात के संबंध में धार्मिक विश्वास या मान्यता का कोई मानदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना।

(2) कोई संस्थान किसी संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें, बोर्ड की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यताएं अंतर्गस्त हैं।

- संस्थान में शिक्षण। 9. संस्थान के कैम्पस में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा।
- कुलाध्यक्ष। 10. भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा।
- संस्थान के प्राधिकारी। 11. संस्थान के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—
- (क) शासक बोर्ड;
- (ख) सिनेट; और
- (ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जाए।
- सिनेट। 12. संस्थान की सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—
- (क) महानिदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा;
- (ख) सभी संस्थान कैम्पस निदेशक और ज्येष्ठ आचार्य;
- (ग) ऐसे तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, और जिन्हें महानिदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी के क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और उनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा;
- (घ) संस्थान का एक पूर्व छात्र जो अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक के परामर्श से, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और
- (ङ) कर्मचारिवृंद के ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।
- सिनेट के कृत्य। 13. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान की सिनेट, संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों का नियंत्रण और साधारण विनियमन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।
- अध्यक्ष के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य। 14. (1) अध्यक्ष सामान्यतः बोर्ड के अधिवेशनों की और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।
- महानिदेशक। 15. (1) संस्थान का महानिदेशक बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- (2) महानिदेशक, संस्थान का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा और वह संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा उसमें अनुदेश देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) महानिदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा।
- (4) महानिदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेश द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं।
- (5) केन्द्रीय सरकार को तीन वर्ष की अवधि से पूर्व, यदि वह ऐसा करना समुचित समझती है तो महानिदेशक को हटाने की शक्ति होगी।
- कुल-सचिव। 16. (1) संस्थान के कुल-सचिव की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, संस्थान की निधियों तथा संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का, जो बोर्ड उसके प्रभार में सौंपे, अभिरक्षक होगा।
- (2) कुल-सचिव, बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) कुल-सचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या महानिदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं।

17. इसमें इससे पहले वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

18. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता-पूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से जो वह उचित समझे, संदाय कर सकेगी।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

19. (1) संस्थान ऐसी निधि रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे:—

संस्थान की निधि।

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरणों के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन; और

(घ) किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन।

(2) निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे, जिसे संस्थान, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में और कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए किया जाएगा।

20. केंद्रीय सरकार, धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को:—

(क) विन्यास निधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना करने;

(ख) अपनी निधि में से कोई धन विन्यास निधि या किसी अन्य निधि में अंतरण करने;

का निदेश दे सकेगी।

विन्यास निधि की स्थापना।

21. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे।

लेखा और संपरीक्षा।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संस्थान द्वारा संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो साधारणतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाचुचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों को पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्थान के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

22. (1) संस्थान अपने कर्मचारियों के, जिसके अंतर्गत महानिदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियां स्थापित करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

पेंशन और भविष्य निधि।

(2) जहां, कोई ऐसी भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

नियुक्तियां।

23. संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां महानिदेशक की नियुक्ति को छोड़कर परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी,—

(क) यदि नियुक्ति सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद पर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के बारे में की जाती है या यदि नियुक्ति किसी अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद के बारे में किसी कॉर्डर में की जाती है जिसका अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के वेतनमान के समान या उससे उच्चतर है, तो बोर्ड द्वारा; और

(ख) किसी अन्य मामले में, महानिदेशक द्वारा।

परिनियम।

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) शिक्षण विभागों का बनाया जाना;

(ख) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ग) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा, भविष्य निधियों की स्थापना;

(च) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;

(छ) हॉलों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(ज) बोर्ड के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति;

(झ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन;

(ञ) सिनेट के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ट) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा विहित की जानी है या की जा सकेगी।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

25. (1) संस्थान का प्रथम परिनियम बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में परिनियम को संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। कुलाध्यक्ष उसके लिए अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे बोर्ड को विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) नए परिनियम, विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधिमाम्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष उसके लिए अनुमति नहीं दे देता है।

अध्यादेश।

26. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;

(ख) अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण;

(ग) संस्थान की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) परीक्षा निकाय, परीक्षकों और अनुसूचितों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(झ) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों;

(ञ) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और हालों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाना; और

(ट) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जानी है या की जा सकेगी।

27. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, बोर्ड को यथाशक्यशीघ्र, प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार किया जाएगा।

(3) बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे संकल्प की तारीख से, ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तदनुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा।

28. (1) संस्थान और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य और कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

माध्यस्थम् अधिकरण।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देश किए जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

29. इस अधिनियम अथवा परिनियमों के अधीन गठित संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा,—

रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

प्रायोजित स्कीमें।

30. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी संस्थान, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसमें कोई अनुसंधान स्कीम या कोई परामर्शी कर्तव्यभार या कोई शिक्षण कार्यक्रम या पीठ, आचार्य पद या कोई छात्रवृत्ति, आदि को प्रायोजित करने वाला उद्योग भी सम्मिलित है, संस्थान में निष्पादित या प्रदत्त होने वाली, निधियां प्राप्त करता है, तो:—

(क) प्राप्त रकम संस्थान द्वारा संस्थान की निधि से पृथक् रूप में रखी जाएगी और उसका केवल स्कीम के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा; और

(ख) उसे निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्द की, प्रायोजक संगठनों द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार भर्ती की जाएगी:

परन्तु उपयोग में न लिया गया शेष धन, इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन सृजित विन्यास निधि को अंतरित कर दिया जाएगा।

संस्थान को डिग्री आदि देने की शक्ति।

31. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां देने की शक्ति होगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदत्त ऐसी तत्समान डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के समतुल्य होंगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

33. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले सोसाइटी के शासक बोर्ड के रूप में कार्य करने वाला शासक बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हों, पद धारण नहीं करेंगे; और

(ख) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी के नियम और विनियम, अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत, उस संस्थान को वहां तक लागू होते रहेंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं।

परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

34. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन के अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र में अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस परिनियम या अध्यादेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस परिनियम या अध्यादेश के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिणियम या अध्यादेश बनाने की शक्ति के अंतर्गत उक्त परिणियमों या अध्यादेशों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व की नहीं होगी, भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति भी होगी किंतु किसी ऐसे परिणियम या अध्यादेश को भूतलक्षी रूप से प्रभावी नहीं किया जाएगा जिससे ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जिसे ऐसा परिणियम या अध्यादेश लागू हो।
